न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–107/2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम चन्दन कुमार राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
07/01/2020 14/01/2020	आदेश प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–195/म0नि0को0 दिनांक–01.03.2019 से प्राप्त सदर (सोनकी ओ0पी0) थाना कांड सं0–447/18 दिनांक 04.11.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु रजि0 नं0–BR06PD-5617 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को निबंधित डाक से कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान ग्राम सहिला से लौटकर जब मुख्य मार्ग पर पहुँचे तो एक टेम्पु तेजी से आगे की तरफ जा रही थी। टेम्पु चालक पुलिस जीप को अपने पीछे आते देख तेजी से भागने लगा, जिसे बैद्यनाथ साह के दुकान के सामने रोका गया। टेम्पु के रूकते ही टेम्पु चालक तथा उस पर सवार एक व्यक्ति टेम्पु छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पीछा किया गया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया, दूसरा भागने में सफल रहा। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पूछा गया तो अपना नाम चन्दन राय, पिता–मोहन राय बताया गया। स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त टेम्पु नं0–BR06PD-5617 का विधिवत् तलाशी लिया गया तो टेम्पु के पिछले एवं बीच सीट के नीचे 15 कार्टून रॉयल स्टैग कम्पनी का अंग्रेजी शराब जूट के बोरे से ढ़का हुआ पाया गया। बरामद शराब को टेम्पु से उतार कर गिनती किया गया तो रॉयल स्टैग कम्पनी का 375*ml* का 192 बोतल जिसपर बैच नं0–0142 एवं 180*ml* का 336 बोतल जिस पर बैच नम्बर 215A for sale in Haryana लिखा पाया गया। इस प्रकार कुल 132.480 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् टेम्पु के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है दिनांक 03.11.2018 को घटित घटना के दिन संबंधित वाद के अभियुक्त मुकेश सिंह, पिता–स्व0 राम नारायण सिंह एवं अन्य के द्वारा मेरे वाहन को सामान पहुँचाने के लिए किराया पर लिया गया था। सामान ले जाने के क्रम में पुलिस के द्वारा मेरे वाहन को रोका गया। उक्त अभियुक्त पुलिस को देखकर भाग गये। पुलिस द्वारा जब्त बक्से को खोलने पर मुझे पता चला कि बक्से/कार्टून में शराब था। आवेदक का यह भी कथन है कि मेरे वाहन में रखे गये कार्टून में शराब की जानकारी उन्हें नहीं थी। उक्त	

के आलोक में आवेदक की संलिप्तता नहीं है। अतः आवेदक के वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्त वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब का चौर्य व्यापार के नीयत से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से सुनवाई के दौरान अथवा पूर्व में दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि वाहन चालक एवं वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति है तथा उक्त जब्त वाहन से 132.480 लीटर शराब बरामद हुआ है। जिससे अवैध शराब के कारोबार में उनकी संलिप्तता स्पष्ट होता है। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

अतएव सदर (सोनकी ओ0पी0) थाना कांड सं0—447 / 18 दिनांक 04.11.2018 में जब्त वाहन टेम्पु पंजीयन सं0—BR06PD-5617 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम—2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा